

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

शुद्धि-पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-64(6)ब, दि०- 27.05.15 के परिशिष्ट-1, जिला धनबाद के क्रमांक-4, प्रखण्ड- बाघमारा, ग्राम- फूलाड़ीटाँड़ के स्थान पर प्रखण्ड- बाघमारा, ग्राम- तारगा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है ।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-202(6)ब, दि०-23.02.17 के परिशिष्ट-2 जिला- धनबाद के क्रमांक-11, प्रखण्ड-बाघमारा, ग्राम-महुदा के स्थान पर प्रखण्ड- बाघमारा ग्राम-छत्रुटाँड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है ।

3. इसी प्रकार उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-202(6)ब, दि०-23.02.17 के परिशिष्ट-2 जिला-हजारीबाग के क्रमांक-2, प्रखण्ड-बड़कागाँव, ग्राम-चमगढ़ा के स्थान पर प्रखण्ड- बड़कागाँव, ग्राम-सिकरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है ।

4. उक्त स्वीकृत्यादेश का शेष यथावत् रहेगा ।

5. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञाप संख्या-6/पी० नई यो०- 29/2016- 80(6)ब रांची, दिनांक: 31.8.18

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रांची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/योजना सह वित्त विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/अभियान निदेशक, एन०एच०एम०/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

80(6)ब

31.8.18

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव ।